

57/17

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
57/17	53.188 A+B	मोहनपुर	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
अपराध	बनाम	दाया	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
19/10	वकील दाया द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 53.188 A+B विरुद्ध अपराधी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सारिस्ता का अपलोड किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार कार जब अपराधी प्रतिवादी का तलब कर प्रकरण दिनांक 16/10/17 का पेश हो।	
16/10	अपराधी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण अपराधी की स्थिति में दिनांक 14/10/17 का पेश हो।	1 ता 7 वादी
4/11	वकील दाया उपरी प्रतिवादी 1 ता 7 के सम्बन्ध वाद तागीर सन्तुलन रहे, प्रतिवादी नं. 1 की फोर सेटल कर देवेन्द्र कुमार के हता एडव का वकालत का पत्र पेश करते जवाब निपत डि. 9/10/17 का पेश हो।	
3/10	वकालत फकीर उर्फ प्रतिवादी नं. 2 ता 7 की फोर से जवाब पेश किया, नबिला वकील दाया की भी जाली, दोष प्रतिवादी नं. 1 के जवाब पेश एडव समुदाय वाद निपत आगामी दिनांक 24.10.17 का पेश हो।	
24/10	अपराधी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण अपराधी की स्थिति में दिनांक 12.12.17 का पेश हो।	
12/11	वकालत फकीर उर्फ प्रतिवादी नं. 1 के जवाब ठीक निपत वाद निपत आगामी दिनांक 24/11/18 का पेश हो।	
24/11	अपराधी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण अपराधी की स्थिति में दिनांक 28.2.18 का पेश हो।	
	व्यस्त होने के कारण अपराधी की स्थिति में दिनांक 14/11/18 का पेश हो।	

(फकीर उर्फ)

पगावली पेशा डई / वकुलाए करीकेन 347/ बदन नही हो  
 लकी है। बदन हेतु समय चाहते हैं। पगावली बसते  
 बदन दिनांक 23.10.24 को पेश हो।

10-24 पगावली पेशा डई वकुलाए करीकेन 347/ बदन -  
 अधिकारक उक्त पक्षकारण पुत्री अर्था पगावली वरिष्ठ  
 आदेश दिनांक 30-10-24 को पेश हो।

10-10-24 पगावली पेशा डई तदमीलडाए छवडा से विभाजन उत्तर  
 जाफ को शांति से छे छे छे विभाजन उत्तर है वकील  
 डिफिदाए लड्डे छे विभाजित आराकी कहे कल मोहम्मदपुर  
 तदं छवडा का पक्षकारण के मध्य छपक-छपक विभाजन  
 विभाजित किया जाय :-

खातेदार का नाम		ख. सं.	रकबा	संगण
1	जदराण पुत्र गोटू गाई मीणा छिवाही मोहम्मदपुर तदं छवडा	67	0.2571 हे.	2-22
2	हेमेटलाल <del>समझदार</del> पुत्र गोटू गाई मीणा छिवाही मोहम्मदपुर तदं छवडा	67/2	0.2572 हे.	2-23
3	भगवान लाल पुत्र रामजमाड, उदलाड, पुत्र रामजमाड, जीवाबाई, सीगबाई, लखेणबाई पुत्री रामजमाड, सुलाव बाई देवा रामजमाड गाई मीणा छिवाही मोहम्मदपुर तदं छवडा	67/1	0.2571 हे.	2-22

उपरोक्ताउक्त विभाजित आराकी का पक्षकारण  
 के मध्य छपक-छपक विभाजन किया जाकर रजिस्ट्र  
 रिकार्ड में काल इमान कहे छे तदमीलडाए छवडा  
 को आदेशित किया जाय छे तदुक्त अधिक डिफि  
 पदा जारी हो विभाजित किया जाकर छे इलाहाड पुत्रमा  
 गदा। पगावली केवल छुवाए केवल काय तमील वकील  
 के दखिल दफत हो।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 छवडा (बारा)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

ख्या 57/2017	धारा अन्तर्गत 53 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 30.10.2024
श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
स्थिति : अभिभाषक वादी:- श्री हसीब आलम	अभिभाषक प्रतिवादी:- श्री जालाम सिंह कश्यप	

## वाद शीर्षक

उनवान

- जयराम आयु 68 वर्ष पुत्र गोटु जाति मीणा निवासी ग्राम मोहम्मदपुर तहसील छबडा जिला बारां राज0.  
वनाम
- छोटया आयु 72 वर्ष पुत्र गोटु जाति मीणा
- भगवान आयु 40 वर्ष पुत्र रामप्रसाद मीणा
- प्रहलाद आयु 38 वर्ष पुत्र रामप्रसाद मीणा
- गीता बाई आयु 35 वर्ष पुत्री रामप्रसाद मीणा
- सीता बाई आयु 32 वर्ष पुत्री रामप्रसाद मीणा
- संतोष बाई आयु 30 वर्ष पुत्री रामप्रसाद मीणा
- गुलाब बाई आयु 75 वर्ष बेवा रामप्रसाद मीणा निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

विवादित आराजी वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. जयराम पुत्र गोटु जाति मीणा निवासी मोहम्मदपुर तहसील छबडा	67	0.2571 है0	2.22	-
	किता -1	0.2571	2.22	-
छोटेलाल पुत्र गोटु जाति मीणा निवासी मोहम्मदपुर तहसील छबडा	67/2	0.2572 है0	2.23	-
	किता -1	0.2572	2.23	-
भगवानलाल पुत्र रामप्रसाद, प्रहलाद पुत्र रामप्रसाद, गीता बाई, सीताबाई, सन्तोषबाई, पुत्रीया रामप्रसाद गुलाब बाई बेवा रामप्रसाद जाति मीणा निवासी मोहम्मदपुर तहसील छबडा	67/1	2.2571 है0	2.22	-

उपरोक्तनुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही न्यायालय द्वारा रु0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.10.2024 को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी,  
छबडा जिला बारां

क्र.सं.	व्ययानुतोष	
	वादी	प्रतिवादी
1.	व्ययानुतोष/लिखित कथन	
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक	
6.	व्यय साक्षी	
7.	फीस कमिश्नर	
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति	
9.	ब्याज ( : )	
10.	योग	